संख्या-101/2025/1719/2025-001-27-10099/1228/2021-10

प्रेषक,

इन्द्रजीत सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 03 दिसम्बर, 2025

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद योजना के अन्तर्गत पम्प सेटों/गूलों का निर्माण/जीर्णोद्धार की 74 परियोजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-जी-854/03-54/जनपद योजना/2025-26/नलकूप(नियंत्रण), दिनांक 16.10.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 26.08.2014, 21.11.2017 एवं 27.03.2025 में दी गयी व्यवस्था के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-94 के लेखाशीर्षक-4702-102-03-0301-25 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 10000.00 लाख के सापेक्ष प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पम्पसेटों/गूलों का निर्माण/जीर्णोद्धार की निम्नलिखित 74 परियोजनाओं हेतु निम्न तालिका के कॉलम-5 में अंकित पृथक-पृथक धनराशि के अनुसार कुल धनराशि रू0 7978.99 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष कुल रू0 7978.99 लाख (उन्यासी करोड़ अठहत्तर लाख निन्यानबे हजार मात्र) अधोलिखित शर्तों के अधीन निर्गत कर अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	**जनपद का नाम**	**खण्ड का नाम**	**खण्ड में चलित नलकूपों की संख्या**	**कार्ययोजना के अनुसार निर्गत धनराशि** (लेबर सेस, व जी. एस. टी. सहित) (लाख रूपये में)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	मेरठ	नलकूप खण्ड पूर्व मेरठ	284	55.65
		नलकूप खण्ड पश्चिम बागपत	106	22.99
2	बागपत	नलकूप खण्ड पश्चिम बागपत	286	68.65
3	बुलन्दशहर	नलकूप खण्ड उत्तर बुलन्दशहर	539	111.53
4	गौतमबुद्धनगर	नलकूप खण्ड गाजियाबाद	74	14.9
5	गाजियाबाद	नलकूप खण्ड गाजियाबाद	92	19.06
6	हापुड़	नलकूप खण्ड गाजियाबाद	158	32.66
7	सहारनपुर	नलकूप खण्ड सहारनपुर	432	83.92
		नलकूप खण्ड शामली	119	27.1
8	मुजफ्फरनगर	नलकूप खण्ड मुजफ्फरनगर	408	86.75
9	शामली	नलकूप खण्ड शामली	97	21.37
10	आगरा	नलकूप खण्ड आगरा	327	108.07
11	फिरोजाबाद	नलकूप खण्ड फिरोजाबाद	380	124.3
12	मथुरा	नलकूप खण्ड आगरा	1	0
13	मैनपुरी	नलकूप खण्ड मैनपुरी	616	157.31
14	हाथरस	नलकूप खण्ड -1 अलीगढ	201	46.47
15	अलीगढ	नलकूप खण्ड -1 अलीगढ	327	71.52
		नलकूप खण्ड -2 अलीगढ	356	71.54
16	एटा	नलकूप खण्ड एटा	376	78.06
17	कासगंज	नलकूप खण्ड कासगंज	442	91.73
18	मुरादाबाद	नलकूप खण्ड मुरादाबाद	462	97.94
		नलकूप खण्ड चन्दौसी	125	26.52
19	सम्भल	नलकूप खण्ड चन्दौसी	544	113.97
		नलकूप खण्ड मुरादाबाद	78	15.04
20	अमरोहा	नलकूप खण्ड अमरोहा	314	67.04
21	बिजनौर	नलकूप खण्ड अमरोहा	173	32.52
		नलकूप खण्ड बिजनौर	571	117.67

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

22	रामपुर	नलकूप खंण्ड रामपुर	451	91.25
23	बरेली	नलकूप खंण्ड -1 बरेली	574	120.56
		नलकूप खंण्ड -2 बरेली	261	54.08
24	पीलीभीत	नलकूप खंण्ड -2 बरेली	225	52.18
25	बदायूँ	नलकूप खंण्ड -1 बदायूँ	404	92.08
		नलकूप खंण्ड -2 बदायूँ	410	85.44
		नलकूप खंण्ड -3 बदायूँ	400	92.72
26	शाहजहाँपुर	नलकूप खंण्ड शाहजहाँपुर	627	134.42
27	लखनऊ	नलकूप खंण्ड लखनऊ	411	93.56
28	उन्नाव	नलकूप खंण्ड उन्नाव	235	61.93
29	हरदोई	नलकूप खंण्ड हरदोई	730	163.77
30	रायबरेली	नलकूप खंण्ड रायबरेली	418	104.46
31	सीतापुर	नलकूप खंण्ड -1 सीतापुर	516	101.95
		नलकूप खंण्ड -2 सीतापुर	308	62.09
32	लखीमपुर	नलकूप खंण्ड -2 सीतापुर	196	40.04
		नलकूप खंण्ड -1 लखीमपुर	629	123.45
33	झाँसी	नलकूप खंण्ड -2 उरई	168	35.65
34	ललितपुर	नलकूप खंण्ड -2 उरई	1	0
35	जालौन	नलकूप खंण्ड -1 उरई	385	98.05
		नलकूप खंण्ड -2 उरई	338	31.94
36	हमीरपुर	नलकूप खंण्ड हमीरपुर	560	153.33
37	महोबा	नलकूप खंण्ड हमीरपुर	0	0
38	बाँदा	नलकूप खंण्ड बाँदा	678	175.41
39	चित्रकूट	नलकूप खंण्ड बाँदा	20	4.93
40	कानपुर देहात	नलकूप खंण्ड कानपुर देहात	487	112.24
41	कानपुर नगर	नलकूप खंण्ड कानपुर	348	85.69
42	इटावा	नलकूप खंण्ड इटावा	468	110.75
43	औरैया	नलकूप खंण्ड औरैया	391	97.79
44	फर्रूखाबाद	नलकूप खंण्ड फर्रूखाबाद	346	69.2
45	कन्नौज	नलकूप खंण्ड कन्नौज	303	67.23
46	अयोध्या	नलकूप खंण्ड अयोध्या	664	151.21
		नलकूप खंण्ड बाराबंकी	116	25.66
47	अम्बेडकरनगर	नलकूप खंण्ड अम्बेडकरनगर	550	118.92
48	सुल्तानपुर	नलकूप खंण्ड सुल्तानपुर	522	121.8
49	अमेठी	नलकूप खंण्ड अमेठी	379	85.67
50	बाराबंकी	नलकूप खंण्ड बाराबंकी	357	91.43
51	गोण्डा	नलकूप खंण्ड गोण्डा	639	142.98
52	बलरामपुर	नलकूप खंण्ड बलरामपुर	419	91.34
53	बहराइच	नलकूप खंण्ड बहराइच	406	84.84
		नलकूप खंण्ड नानपारा	244	50.86
54	श्रावस्ती	नलकूप खंण्ड बहराइच	136	29.86
		नलकूप खंण्ड नानपारा	102	23.46
55	गोरखपुर	नलकूप खंण्ड-1 गोरखपुर	467	98.83
		नलकूप खंण्ड-2 गोरखपुर	592	126.38
		नलकूप खंण्ड महाराजगंज	185	37.53
56	देवरिया	नलकूप अनु.खंण्ड देवरिया	443	95.91
		नलकूप खंण्ड सलेमपुर	606	122.07
57	कुशीनगर	नलकूप अनु.खंण्ड देवरिया	272	65.58
58	महाराजगंज	नलकूप खंण्ड महाराजगंज	368	82.55
59	बस्ती	नलकूप खंण्ड बस्ती	652	141.75
60	संतकबीरनगर	नलकूप खंण्ड संतकबीरनगर	533	119.03
61	सिद्धार्थनगर	नलकूप खंण्ड सिद्धार्थनगर	455	99.49
62	वाराणसी	नलकूप खंण्ड-1 वाराणसी	532	114.43
		नलकूप खंण्ड चन्दौली	270	57.76
63	चन्दौली	नलकूप खंण्ड चन्दौली	359	84.67
64	जौनपुर	नलकूप खंण्ड जौनपुर	570	119.61
65	गाजीपुर	नलकूप खंण्ड-1 गाजीपुर	441	86.02
		नलकूप खंण्ड-2 गाजीपुर	401	80.03

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

.gov.in

66	मिर्जापुर	नलकूप खण्ड मिर्जापुर	517	107.67
67	भदोही (संत रविदास नगर)	नलकूप अनु.खंण्ड भदोही (संत रविदास नगर)	539	112.26
68	प्रयागराज	नलकूप खण्ड-1 प्रयागराज	54	12.85
		नलकूप खण्ड-2 प्रयागराज	549	123.9
		नलकूप खण्ड-3 प्रयागराज	527	118.97
69	कौशाम्बी	नलकूप खण्ड-1 प्रयागराज	398	97.4
70	फतेहपुर	नलकूप खण्ड फतेहपुर	600	157.8
71	प्रतापगढ	नलकूप खण्ड-2 प्रयागराज	146	37.11
72	आजमगढ	नलकूप खण्ड आजमगढ	611	125.63
73	मऊ	नलकूप खण्ड मऊ	395	80.15
74	बलिया	नलकूप खण्ड मऊ	225	44.58
		नलकूप खण्ड बलिया	677	130.53
कुल योग			**36094**	**7978.99**

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी आपकी होगी तथा आप यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ विभागाध्यक्ष का होगा।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुये समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(7) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर अनुमोदित कार्य पर व्यय किया जाय तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जाय।

(8) विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(9) विभागाध्यक्ष अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(10) विभागाध्यक्ष द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17.05.2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19.05.2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(11) 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(14) प्रश्नगत परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के पूर्व, कराये गये कार्यों के दौरान तथा कार्यों की समाप्ति के उपरान्त जियोटैगिंग कराते हुए फोटोग्राफ्स एवं वीडियोग्राफी अवश्य कराया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 79,78,99,000 (रुपये उनासी करोड़ अठहत्तर लाख निन्यानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4702001020301 पम्प सेटों/ गूलों का निर्माण/ जीर्णोद्धार मानक मद 25 लघु निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव।

संख्या-101/2025/1719(1)/2025-001-27-10099/1228/2021-10, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
(6) संबंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0, द्वारा-प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(नलकूप) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) समस्त मुख्य अभियन्ता (नलकूप), सिंचाई विभाग उ0प्र0, द्वारा प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(9) मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी, सी0एम0 आई0एस0 पोर्टल।
(10) अनु सचिव (लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन।
(11) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/ सिंचाई अनु0-9/नियोजन अनु0-3
(12) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(13) गार्ड बुक (बजट)।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।